

## आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम शोपुरा के खाता सं. 121 खसरा नं. 1 में आवेदन पत्र अनुसार जगेश पुत्र श्रवण के स्थान पर जगेशनारायण पुत्र शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत शोपुरा में दिनांक 30-5-25 को मजमेआम में सुनाया गया।

30/5/25